

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख
हुकम

२३/१/२०२५

2013
00799

प्राकृतिक वेशाही इच्छितव्य वारी अनुप्राप्त
इच्छितव्य उचितरीत्या उपरान्त
आवाज (मम) से रुक-रुक कर कर
कर आवाज लगवाने पर इच्छितव्य
वारी एवं वारी स्वयं उपरान्त सही
दिए। अतः उक्त अदम हाजरी अदम
पैरने अदम लघुत मे खारीज किया
जाता है। डिब्बी जारी हो। प्राकृतिक वेशाही
शुमा होकर नम्बर से काम हो।

श्याम सुन्दर मिश्रा
सहायक कलेक्टर एवं
उपसहाय्य अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (सक.)

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 2 नियम 6,7 जा.दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर चित्तौडगढ बईजलास
श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर चित्तौडगढ

1. सेवा पिता श्री लखमा गाडरी नि.चौथपुरा तह.व जिला चित्तौडगढ

वादी

बनाम

- 1.भूरा पिता भगवाना गाडरी नि.चौथपुरा तह.व जिला चित्तौडगढ
- 2.घीसू पिता भगवाना गाडरी नि.चौथपुरा तह.व जिला चित्तौडगढ
- 3.भोली बाई पुत्री भगवाना गाडरी नि.चौथपुरा तह.व जिला चित्तौडगढ
- 4.शंकर पिता हरलाल दरोगा नि.चौथपुरा तह.व जिला चित्तौडगढ
- 5.श्री सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार साहब चित्तौडगढ

प्रतिवादीगण

प्र.सं. 205 / 2013 (GCMS 2013/00799)

वादपत्र अर्न्तगत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वादी की ओर से वकील - की, और प्रतिवादी की ओर से वकील श्री ललित लढा एवं श्री रामरतन जाट की उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक को अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और आदेश डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद पत्र अदम हाजरी, अदम पैरवी व अदम सबूत मे खारीज किया जाता है।

इस वाद के खर्च - प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा - को दी जावे। यह आज दिनांक 23.09.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और मुहर अदालत से जारी की गई।



(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)